2011/00061 प्रकरण सं0 566/2011

प्रेम w/o नोरत वगै. बनाम श्री नोरत s/o गोकल वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
24/11/23	पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य चुनाव में व्यस्त है। पत्रावली साधिक आदेश दिनांक 2/2/2024 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
2/2/24	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त ~~अवकाश~~ में है। पत्रावली साधिक आदेश दिनांक 12/4/24 को पेश हो। आदेश से रीडर	
4/24	पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियशन का कार्य स्थगन किया [illegible] है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय [illegible] में व्यस्त है। [illegible] साधिक आदेश दिनांक 24/5/24 [illegible] पेश हो। आज्ञा से रीडर	
5/24	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त ~~अवकाश~~ में है। पत्रावली साधिक आदेश दिनांक 7/6/24 को पेश हो। आदेश से रीडर	
7/6/24	पत्रावली पेश हुयी प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी सख्या 1 व 2 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही हो चुकी है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया ग्राम पुर के आराजी नं. 8200 एवम 9424/8207 प्रार्थी ~~[illegible]~~ गण की पैत्रिक आराजियात है।	

जिसमे प्रार्थीगण व विपक्षी सरजना 1 व 2
को सम्मान हक हिस्सा निहीत होने से वाद
ग्रस्त आराजियात को विक्रय व खुर्द बुर्द नहीं
करने हेतु विपक्षी गण के विरुद्ध अस्थाई
निषेधाज्ञा जारी कराई जाये।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवम
पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का
अध्ययन किया गया। वादग्रस्त ग्राम पुर
के आराजी नं. 8198, 8200, 9424/8207
प्रार्थीगण एवं विपक्षी सरजना 1 व 2 की
संयुक्त हक अधिकार के होने से
प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला बनता है
सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष
में है। वादग्रस्त आराजियात को विपक्षी
गण द्वारा विक्रय अंतरण कर दी गयी
तो प्रार्थीगण अपूरणीय क्षति होगी अतः
प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
212 आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाकर
अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की
जाती है कि मूलवाद निस्तारण तक उपरोक्त
आराजियात व राजस्व रेकार्ड की यथा-
स्थिति बनाई रखी जावे। प्रकरण फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम किया
जावे।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा